निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 अग्रहायण 1934 (शo)

(सं0 पटना 629) पटना, बुधवार, 28 नवम्बर 2012

सं0 आई.सी.डी.एस./पोषाहार/37–2011–4200
समाज कल्याण विभाग

————————

संकल्प

22 नवम्बर 2012

बिषयः– समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्रों पर पूरक पोषाहार प्रदान करने के लिए भारत सरकार के डब्लू.बी.एन.पी. (WBNP) के तहत खाद्यान (चावल और गेहूँ) की प्राप्ति को राज्य के सभी 38 जिलों की 544 बाल विकास परियोजनाओं में लागू करने की स्वीकृति।

आई.सी.डी.एस. योजना अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती/शिशुवती महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार गर्म तैयार भोजन तथा टी.एच.आर. के रूप में सूखा राशन प्रदान कराया जाता है। पूरक पोषाहार प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा निरूपित मार्ग दर्शक सिद्धान्त के अनुसार पोषाहार का क्रय विकेन्द्रीकृत है। इस स्थानीय व्यवस्था के तहत ऑगनवाड़ी केन्द्र स्तर पर पोषाहार का क्रय एवं वितरण किया जाता है।

2. भारत सरकार के डब्लू.बी.एन.पी. कार्यक्रम के तहत पूरक पोषाहार हेतु बी.पी.एल. दर पर खाद्यान उपलब्ध कराया जाता है। आई.सी.डी.एस. में इस खाद्यान के प्रयोग से अनियमितताओं को रोकने में मदद मिल सकेगी और कुछ बचत भी होगी। बचत की राशि से आँगनबाड़ी केन्द्रों पर अच्छी गुणवत्ता का मॉर्निंग स्नैक्स उपलब्ध कराया जा सकेगा।

3. प्रत्येक ऑगनवाड़ी केन्द्र पर पूरक पोषाहार हेतु प्रतिमाह 10975/– रु0 उपलब्ध कराया जाता है। खाद्यान (गेहूँ तथा चावल) की स्थानीय बाजार से खरीद के लिए रु0 15 प्रति किलो की दर निर्धारित है। भारत सरकार राज्यों को डब्लू.बी.एन.पी. के तहत बी.पी.एल. (BPL) दर पर आई.सी.डी.एस. तथा अन्य योजनाओं हेतु खाद्यान उपलब्ध कराती है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार को बी.पी.एल. दर पर गेहूँ के लिए 4.666 रू0 प्रति किलो एवं चावल के लिए 6.226 रू0 प्रति किलो का भुगतान निर्धारित है। डब्लू.बी.एन.पी. के तहत खाद्यान उपलब्ध होने से प्रति ऑगनवाड़ी केन्द्र लगभग 2090/– रु0 की बचत होती है, जिसका उपयोग ऑगनवाड़ी केन्द्रों पर अच्छी गुणवत्ता का मॉर्निंग स्नैक्स तथा माइक्रोन्यूट्रीएनटश देने के रूप में किया जायेगा। खाद्यान का उठाव भारत सरकार द्वारा दिये गये आवंटन के विरूद्व राज्य खाद्य निगम द्वारा किया जायेगा। राज्य खाद्य निगम से ऑगनवाड़ी क्लस्टर तक खाद्यान का परिवहन समाज कल्याण विभाग/आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संवेदकों द्वारा किया जायेगा। संवेदकों एवं ऑगनवाड़ी सेविकाओं को परिवहन हेतु देय राशि का निर्धारण समाज कल्याण विभाग/आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा किया जायेगा।

4. उपरोक्त आलोक में WBNP के तहत खाद्यान्न आपूर्ति योजना को राज्य के सभी 38 जिलों के 544 बाल विकास परियोजनाओं में भारत सरकार द्वारा खाद्यान का आवंटन होने के पश्चात् चरणों में लागू किया जायेगा।

5. इस योजना को दिनांक 12.10.2012 की मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी है। (संचिका सं0–आई.सी.डी.एस./पोषाहार/37–2011 पू0सं0 38/टि0)।

6. संबंधित विभागों/पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी जा रही है।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित कराया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कुंवर जंग बहादुर,
संयुक्त निदेशक (मु0)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 629-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in